।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 06.05.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 06.05.2026** को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
2. श्री एल.आर. मीणा, सदस्य
   शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री सत्यपाल जांगिड़, सदस्य
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
4. श्री जगमोहन मित्रुका, सदस्य
   उप विधि परामर्शी,
   महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 01 बंदी का प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
रामसन उर्फ रामचन्द्र पुत्र नारू	के.का.कोटा	670/2026	01.05.2026	04.05.2026

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी रामसन उर्फ रामचन्द्र पुत्र नारू, केन्द्रीय कारागृह कोटा :-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 01 बारां द्वारा प्रकरण संख्या 146/2011 अंतर्गत धारा 395,396,397 आई.पी.सी. में दिनांक 29.06.2024 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डी.बी.क्रिमिनल अपील (डीबी) संख्या 252/2024 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2024 में प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. की आजीवन कारावास की सजा को परिवर्तित कर 10 वर्ष कठोर कारावास के

दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 में समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा बंदी को प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में दण्डित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 670/2026 रामसन बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 01.05.2026 पारित किया है कि " Taking note of the aforesaid prayer and without delving into the merits/demerits of the case, respondent No. State of Rajasthan, through the Director General, Directorate Prison Rajasthan, Jaipur, is directed to consider and decide the application dated 30.03.2026 (Annexure-1) filed by the petitioner,within a period of one month from the date of submission of the certified copy of this order, strictly in accordance with law."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2026 की पालना में प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि बंदी को बंदी को प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

अत: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2026 की पालना में बंदी के प्रकरण का गुण-अवगुण के आधार पर परीक्षण कर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी रामसन उर्फ रामचन्द्र पुत्र नारू** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(एल.आर.मीणा)	(सत्यपाल जांगिड़)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर	महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर